



को छोड़कर सभी अधिकारों में शामिल हैं) से संबंधित है, न की नकारक नरीध से।

- **कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार** : गरिफ्तार व्यक्तियों को **कानूनी सलाहकार से परामर्श लेने** और बचाव का अधिकार है।
- **त्वरित न्यायिक समीक्षा का अधिकार** : उन्हें **गरिफ्तारी के 24 घंटे** के भीतर मजस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
- **लंबे समय तक हरिसत में रखने के विरुद्ध अधिकार** : उन्हें **24 घंटे के बाद रहि कर** दिया जाना चाहिये, जब तक कि मजस्ट्रेट आगे भी हरिसत में रखने का आदेश न दे।
- **दूसरा भाग: यह विशेष रूप से नकारक नरीध कानूनों के तहत सुरक्षा से संबंधित है, जो नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों पर लागू होता है।**
  - **बना समीक्षा के अधिकतम हरिसत अवधि** : किसी व्यक्तियों की हरिसत **तीन महीने** से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड (बोर्ड में **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे**) वसितारति हरिसत के लिये पर्याप्त कारण न बताए।
  - **हरिसत के आधार की जानकारी** : हरिसत के आधार की जानकारी हरिसत में लिये गए व्यक्तियों को दी जानी चाहिये। हालाँकि सार्वजनिक हित के विरुद्ध माने जाने वाले तथ्यों का खुलासा करना जरूरी नहीं है।
  - **प्रतिनिधित्व का अधिकार**: हरिसत में लिये गए व्यक्तियों को **नज़रबंदी आदेश के विरुद्ध प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जाना** चाहिये।
- **नकारक नरीध पर वधायी शक्तियाँ**: संसद को **रक्षा, वदेशी मामलों और भारत की सुरक्षा** से जुड़े कारणों के लिये नकारक नरीध पर कानून बनाने का **विशेष अधिकार** है।
  - **संसद** तथा **राज्य वधानमंडल** दोनों ही राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने तथा **समुदाय के लिये आवश्यक आपूर्तियों और सेवाओं** को बनाए रखने से संबंधित कारणों से नकारक नरीध का कानून **एक साथ** बना सकते हैं।
- **नियंत्रण हेतु संसद की शक्ति**: अनुच्छेद 22 संसद को यह नरीधारति करने का अधिकार देता है कि:
  - वे **परिस्थितियों और मामलों के वर्ग** जिनमें किसी व्यक्तियों को सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किये बिना नकारक नरीध कानून के तहत **तीन महीने से अधिक समय तक हरिसत में रखा जा सकता है**;
  - वह **अधिकतम अवधि** जिसके लिये किसी व्यक्तियों को नकारक नरीध कानून के तहत किसी भी वर्ग के मामलों में **हरिसत में रखा जा सकता है**; तथा
  - किसी जाँच में **सलाहकार बोर्ड** द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
- **प्रमुख संशोधन: 44 वें संशोधन अधिनियम, 1978** ने सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किये बिना हरिसत की अवधि को **तीन महीने से घटाकर दो महीने** कर दिया है।
  - हालाँकि यह प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुआ है, इसलिये तीन महीने की मूल अवधि अभी भी जारी है।
- **भारत में नकारक नरीध कानून**: राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध को रोकने के लिये संसद द्वारा कई नकारक नरीध कानून बनाए गए हैं। **उदाहरण**:
  - आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा), 1971 (**1978 में नरिसत**)
  - वदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी नरीध अधिनियम (COFEPOSA), 1974
  - **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980**
  - आतंकवादी एवं वधिवंसकारी गतिविधियाँ नरीधक कानून (TADA) 1985 (**1995 में नरिसत**)।
  - आतंकवाद नरीधक अधिनियम (POTA), 2002 (**2004 में नरिसत**)
  - **गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967** (वर्ष 2004, 2008, 2012 और 2019 सहित कई बार संशोधित)।
- **भारत में नकारक नरीध की आलोचना**: विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश ने नकारक नरीध को संवधान का अभिन्न अंग नहीं बनाया है, जैसा कि भारत में किया गया है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका में यह अज्ञात है।
  - इसका प्रयोग ब्रिटन में केवल **प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध** के दौरान किया गया था।
  - भारत में नकारक नरीध **ब्रिटिश शासन** के दौरान भी मौजूद था। उदाहरण के लिये बंगाल राज्य कैदी वनियमन, 1818 और भारत रक्षा अधिनियम, 1939 में नकारक नरीध का प्रावधान था।

## नकारक नरीध कानून से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

- **कानून का दुरुपयोग** : नकारक नरीध भारतीय संवधान में मौलिक अधिकारों के साथ मौजूद है, लेकिन राजनीतिक लाभ या मुक्त भाषण को **नियंत्रित करने** के लिये इसका दुरुपयोग चिता का विषय है।
  - **उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहाँ स्थानीय क्रिकेट विवाद** जैसे मामूली मुद्दों पर नकारक नरीध लागू किया गया तथा इसके दुरुपयोग की संभावना भी दिखाई देती है।
- **नियंत्रण और संतुलन का अभाव**: सीमिति न्यायिक नरीध के साथ हरिसत में रखने की व्यापक शक्तियों से प्राधिकार के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है।
  - **न्यायिक जाँच** का दायरा यह सुनिश्चित करने तक सीमिति है कि **प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों का पालन** किया गया है, लेकिन **हरिसत के गुण-दोष को सुनिश्चित करना इसमें शामिल नहीं है**।
- **पारदर्शिता का अभाव**: असहमति को रोकने के लिये बार-बार हरिसत में लेने का प्रयोग, अधिक **जवाबदेही** की आवश्यकता को दर्शाता है।
- **औपनिवेशिक युग के कानून** : कुछ नकारक नरीध कानून **औपनिवेशिक काल के हैं जो आधुनिक मानवाधिकार मानकों के अनुरूप नहीं हैं**।

## नकारक नरीध से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक मामले कौन से हैं?

- **1954** : सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायालय उन तथ्यों



?????

प्रश्न: भारत सरकार ने हाल ही में गैर-कानूनी गतविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 और NIA अधिनियम में संशोधन करके आतंकवाद वसिधी कानूनों को मज़बूत कयिा है। मानवाधकार संगठनों द्वारा UAPA के वसिध के दायरे और कारणों पर चर्चा करते हुए मौजूदा सुरक्षा माहौल के संदर्भ में, इन परविरतनों का वसिलेषण कीजयि। (2019)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/new-standards-for-preventive-detention>

